संख्या : 86/2015/1454/छप्पन-2015-99/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : अक्टूबर, 2015

विषय : कानपुर नगर में सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की दर और कुल मूल्य का प्रशासकीय अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 509/ए0एफ0-110-13/2015, दिनांक 11.9.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कानपुर नगर में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु सदर तहसील के ग्राम मवइया स्थित 17.018 हेक्टेयर भूमि राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 19.3.2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निजी भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय हेतु भूमि की दर और भूमि के कुल मूल्य पर प्रशासकीय अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- कानपुर नगर में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु ग्राम मवइया स्थित निजी भू-स्वामियों की लगभग 17.018 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। आपसी समझौते के आधार पर प्रश्नगत भूमि को वर्तमान सर्किल दर रूपये 1,92,50,000/- प्रति हेक्टेयर, जिस पर प्रोत्साहन स्वरूप (सोंलेशियम) मु0 रूपये 1,92,50,000/- अर्थात विक्रय मूल्य रूपये 3,85,00,000/- प्रति हेक्टेयर, जिस पर कृषक भूमि विक्रय हेतु सहमत है, पर भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति की गयी। तदनुसार 17.018 हेक्टेयर भूमि का मूल्यांकन रूपये 65,51,93,000/- निबन्धन शुल्क (2 प्रतिशत) रूपये 1,31,03,860/- तथा भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों जैसे पक्का कुंआ / मकान आदि का मूल्यांकन (360000 + 11345 + 19397)रूपये 3,90,742/- अर्थात् कुल रूपये 66,86,87,602/- आंकलित किया गया है।

3- राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19.3.2015 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य रूपये 50.00 करोड़ से अधिक होने की दशा में भूमि क्रय की दर और भूमि के कुल मूल्य पर प्रशासकीय अनुमोदन शासन के प्रशासकीय विभाग के स्तर से प्रदान किया जाना है।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर-2 में अंकित विवरणानुसार कानपुर नगर में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु ग्राम मवइया स्थित निजी भू-स्वामियों की 17.018 हेक्टेयर भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने हेतु भूमि की दर और भूमि के कुल मूल्य रूपये 66,86,87,602/- (रूपये छियासठ करोड़ छियासी लाख सतासी हजार छः सौ दो मात्र) पर राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, कानपुर नगर से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि सिविल एन्क्लेव का समयवद्ध निर्माण सम्पन्न कराया जा सके।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या- ई-7- /दस-2015, दिनांक अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 86/2015/1454(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर नगर।
3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।